न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान दामिनी बनाम गणेशकुमार आदि

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 151 सीपीसी प्र0 सं0 2019/00190

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
06.07.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 04.05.2011 को मनी देवी द्वारा अपील खारिज करवाने का आवेदन पेश किया गया जिसमें प्रार्थीगण/अपीलाण्ट का अन्य पक्षकारान के साथ राजीनामा हो गया इस कारण अप्रार्थीगण उक्त अपल को नहीं चलाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण सदभावी हैं अपीलार्थीया ने लोकअदालत की भावना से राजीनामा कर लिया का कथन कर अपील को खारिज करवाया गया है। जबकि अपील में ऐसा कोई राजीनामा पक्षकारान के मध्य हुआ हो संलग्न नहीं किया गया है। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं कर अपील खारिज कर कानूनी भूल की है। अप्रार्थीगण नाबालिगान के हितार्थ पुनः नम्बर पर ली जाकर सुनवाई की जावे। प्रार्थीगण की दादी वृद्ध थी व मानसिक रूप से परेशान रहने वाली औरत थी घर में कोई पुरूष सदस्य न होने व पति व पुत्र की मृत्यु के कारण मानसिक तौर पर बहुत परेशान होने लगी और सह खातेदार भूमि के सम्बन्ध में विवाद पैदा करके प्रताड़ित कर रहे थे और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर नाबालिगान की भूमि को हड़प करने के उद्देश्य से उसका फर्जी तौर पर अंगूठा लगाया जो उसकी इच्छा के विरूद्ध था उसकी असहायपन व अनपढ व बहला फुसलाकर उसे अपील खारिज करवाने का प्रार्थना–पत्र बाताकर कोई अन्य कार्यवाही करने का अपील में अंगूठा लगवाया गया क्यूं कि प्रार्थना–पत्र दर्ज अदालत द्वारा समझाया जाना व पढकर सुनाया जाना का तथ्य अंकित नहीं है। मात्र अदालत द्वारा रीडर का मार्क करके पत्रावली में प्रार्थना–पत्र लगाकर अपील खारिज की गई है जो विधि प्रक्रिया में नहीं आती है। प्रार्थीगण नाबालिग है जिन्हें कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। अतः विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी स्वीकार कर मूल	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील पुनः नंबर पर ली जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर पेश किया है। प्रार्थी की कुदरती वली दामिनी उर्फ सोनू पुत्री भूप सिह ने मूल अपील में स्वयं दिनांक 04.05.2011 को अपील चलाना नहीं चाहने का कथन करते हुए खारिज करवाई है जो विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के साथ मूल अपील सं0 152/2010 अनवानी दामिनी आदि बनाम गणेश कुमार आदि संलग्न है। उसकी आदेशिका दिनांक 04.05.2011 से स्पष्ट है कि अपील चलाना नहीं चाहने के कारण खारिज की गई है। इस फर्द अहकाम पर स्वयं दामिनी के हस्ताक्षर है। जिसकी पहचान उसके अधिवक्ता द्वारा की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है कि अपील में पारित उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी स्वयं ने मूल अपील को चलाना नहीं चाहने के कारण खारिज करवाई है। ऐसी स्थिति में वह अपील को पुनः नंबर पर लेकर सुनवाई करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

6/7/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़